

कार्यालय – अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा०क०अधि०/यु०पी० संशोधन) / १८४९/१७, दिनांक : दिसम्बर २०१७, १५

—:: आदेश ::—

श्री वी० के० दुबे, एच०जे०एस०, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम, कानपुर के प्रार्थना–पत्र सं० ६९१/१७ दिनांक ३०–११–२०१७ पर सम्यक विचारोपरान्त आदेश सं० १८१३/१७ दिनांक २४ नवम्बर २०१७ द्वारा माह–दिसम्बर, २०१७ के लिए गठित युगल पीठ लखनऊ का कार्यक्रम दिनांक ०४–१२–२०१७ से ०८–१२–२०१७ में दिनांक ०८–१२–२०१७ की युगलपीठ निरस्त की जाती है।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

—१८०५-१२-१७

(नरेन्द्र कुमार जौहरी)

एच०जे०एस०,

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा०क०अधि०/यु०पी० संशो०, १८४९/१७, तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १— सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-१, कानपुर।
- २— सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-१ से ३, लखनऊ।
- ३— राज्य प्रतिनिधि (युगलपीठ)– पीठ-१ से ३, लखनऊ
- ४— अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/टैक्स लायर्स एसोसियेशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण, जो उक्त टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हों, को अपने स्तर से अवगत करायें।
- ५— वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- ६— वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र० निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।